

GRAM : "AYU SH" महाराव शेखाजी आयुर्वेद केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान



(अधीनस्थ केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् आयुष मन्त्रालय भारत सरकार)
इन्दिरा कालोनी बनी पार्क झोटवाडा रोड जयपुर-302016

M. S. AYURVEDA CENTRAL RESEARCH INSTITUTE

(Under C.C.R.A.S., Ministry of AYUSH, Government of India)
Indira Colony. Bani Park, Jhotwara Road, Jaipur – 302016

EPABX: 0141-2281812 Telefax: 0141-2282618 Email:acri-jaipur@nic.in, acri.jaipur@gmail.com
फा.सं.2-1/2015-एसीआरआई/जेपीआर/एनपीसीडीसीएसप्रोग्राम/स्था./ 2419 दिनांक 11.12.2015

नियुक्ति प्रस्ताव

प्रभारी (संस्थान) म.शे. आयुर्वेद केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान जयपुर द्वारा मल्टी टास्क स्टाफ (एम.टी.एस) के संविदा तथा प्रोजेक्ट कार्य के साथ को-टर्मिनस पर आधारित पद पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस) नई दिल्ली द्वारा जारी विज्ञप्ति सं.2(एन.पी.सी.डी.सी.एस)/2015-के अंतर्गत जिला भीलवाडा में नियत/स्थिर (फिक्सड) मानदेय राशि रु.10000/- (दस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह के आधार पर पूर्व में छः माह के लिए है जिसे नियोक्ता के विवेक तथा अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य-परफोरमेंस के आधार पर एक वर्ष अथवा परियोजना की समाप्ति, जो पहले हो, के आधार पर नियुक्ति की जाती है। तदनुसार कार्यग्रहण की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर निम्नलिखित अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जाता है।

क्र.सं.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पदस्थापन का स्थान
1.	M0127J	MANOJ KUMAR BUNKAR	PRABH DYAL	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माण्डलगढ
2.	M0286J	VIRENDRA MEENA	BIRBAL MEENA	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागोर
3.	M0031J	BHUPENDRA KUMAR MEENA	RAM DHA	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजौलिया
4.	M0069J	HARI SINGH	HARNATH SINGH	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हमीरगढ
5.	M0162J	PAWAN ATTRI	DHARPAL	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटडी
6.	M0073J	INDRA PRAKASH	HAZARI LAL	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगरिया

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के आधार पर होगी।

1. यह नियुक्ति पूर्व में छः माह के लिए है जिसे नियोक्ता के विवेक तथा अभ्यर्थी के संतोषप्रद कार्य-परफोरमेंस के आधार पर एक वर्ष अथवा परियोजना की समाप्ति, जो पहले हो, के आधार पर नियुक्ति किया जा सकता है एवं नियुक्ति को किसी भी समय बिना किसी कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
2. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्णतः संविदा तथा प्रोजेक्ट कार्य के साथ को-टर्मिनस है अर्थात् यह नियुक्ति परियोजना की समाप्ति के साथ स्वतः समाप्त हो जावेगी।
3. आपका संस्थान में इस नियुक्ति को नियमित अथवा स्थायी करने का कोई दावा (अधिकार) मान्य नहीं होगा।
4. आपको किसी प्रकार का पेंशन उपदान एवं सामान्य भविष्य निधि आदि परिलाभ देय नहीं होगा।
5. आप किसी भी प्रकार के अवकाश (आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त) के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
6. आप परियोजना की अवधि में किसी भी प्रकार का अन्यत्र कार्यभार/दायित्व लेने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
7. आप केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस) एवं म.शे. आयुर्वेद केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, जयपुर के कर्मचारी के रूप में व्यवहृत (treated) नहीं होंगे।

कृ.पू.उ.

यदि आपको यह नियुक्ति प्रस्ताव उक्त शर्तों के अन्तर्गत स्वीकार्य है तो आप अपना पदभार ग्रहण श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नोडल आफिसर एनसीडी, जिला भीलवाडा के समक्ष 21-12-2015 तक अथवा पूर्व प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि तक आप कार्यग्रहण नहीं करते हैं, तो यह प्रस्ताव स्वतः ही बिना किसी सूचना के निष्प्रभावी व निरस्त माना जायेगा।


संस्थान द्वारा उक्त कार्यग्रहण के लिए किसी प्रकार का यात्रा व दैनिक भत्ता (टी.ए.डी.ए.) देय नहीं होगा। मानदेय राशि का भुगतान सम्बन्धित प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा उपस्थिति प्रमाणित के आधार पर संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(डा० एच.एम.एल.मीना)

प्रभारी अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञा.-3)

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् महानिदेशक सीसीआरएएस नई दिल्ली को आवश्यक सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् निदेशक (जन.स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. नोडल आफिसर एनसीडी सैल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर को आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भीलवाडा को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवा कर सम्बन्धित पदस्थापन केन्द्रों के लिये कार्यमुक्ति कर सूचना प्रभारी (संस्थान) एसीआरएएस को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सम्बन्धित प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-जिला भीलवाडा को आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित।
6. लेखाशाखा एसीआरआई जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रशासन अनुभाग एसीआरआई जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
8. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. सम्बन्धित पत्रावली।



प्रभारी अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञा.-3)